


न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज		
	कदम	बनाम बनाम मु. सं.	रजोली नम्बर

93/21.

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी : आज
उपस्थित / बी जो साहब धाहर फारे है।
वकील अर्थात् दि 30-3-21. 

दिनांक 30-03-2021

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27-8-2014 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नरना (जिला बैसा)